संख्या-2723/XVIII(II)/2013-18(112)/2013

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौड़ी गढवाल।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 30 सितम्बर, 2013

विषय- जनपद पौड़ी गढवाल में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) श्रीनगर, जिला पौड़ी गढवाल के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु अतिरिक्त कुल 0.049 है0 भूमि न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं0-2719/8-एल0ए0सी0/2012-13 दिनांक-20.05.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद पौड़ी गढवाल की तहसील श्रीनगर में सिविल जज (जू0डि0) श्रीनगर के नाम शासनादेश संख्या-171/XVIII(II)/2011 दिनांक 19.01.2011 के द्वारा पूर्व में कुल 0.126 है0 भूमि के अतिरिक्त ग्राम पुराना श्रीनगर पट्टी कटुलस्यूं, तहसील श्रीनगर के नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या-1 के खसरा संख्या-587 मध्ये 0.049 है0 भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15-2-2002 में निहित प्राविधानों एवं न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नही की जायेगी।

.....2

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8– प्रश्नगत नॉन जैड0ए0 भूमि आंवटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 के समकक्ष सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9– इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या– 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो के बिन्दु संख्या–1 से 9 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0संख्या–2723/ समदिनांकित/2013

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।